Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 23

Date 26-07-2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— **श्री पुरूषोत्तम पासवान, अपर समाहर्ता—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा को विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थिति में पटना में किसी पद पर पदस्थापित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दीघा थाना कांड प्राथमिकी संख्या—381/2021 के अनुसार उनके एक मात्र पुत्र श्री दीपक पुरूषोत्तम की हत्या कर दी गई तथा दीपक पुरूषोत्तम का शव दिनांक—14.07.2021 को गंगा नदी से निकाला गया था।

ज्ञातव्य हो कि श्री पुरूषोत्तम का एक मात्र 30 वर्षीय पुत्र जो उनके जीवन का सहारा था, की मृत्यु हो जाने के कारण उनके एवं उनकी पत्नी को प्राकृतिक रूप से गहरा मानसिक आघात लगा है। उनका परिवार पटना में रहता है तथा उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संबोधित पत्र (छाया प्रति संलग्न) से यह परिलक्षित होता है कि उन्हें सुरक्षा की भी आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति में पत्नि के साथ श्री पुरूषोत्तम पासवान का पटना में रहना सही प्रतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि अगर संभव हो तो श्री पुरूषोत्तम पासवान को मानवीय आधार पर पटना में किसी पद पर पदस्थापित करने की महत्ती कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

26/7/21
(अनिल कुमार)

26/7
(शशांक शेखर सिन्हा)

सेवा में,

अध्यक्ष / महासचिव,

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,

पटना ।

विषयः— दीघा कांड संख्या—390/2021 दीपक पुरूषोत्तम हत्या कांड की एस०आई०टी० से जॉच कराकर मेरे पुत्र को न्याय दिलाने एवं परिवार के जान—माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे इकलौते बेटे दीपक पुरूषोत्तम, उम्र—30 वर्ष, पता—जगतक्रांति अपार्टमेन्ट, नागेश्वर कॉलोनी, मिस मंडल कंपाउंड, थाना—बुद्धा कॉलोनी, जिला—पटना जो दिनांक—13.07.2021 को संध्या 6:00 बजे दीघा घाट घूमने गया था जहाँ सुनियोजित ढंग से पानी में डुबोकर एवं अन्य तरह से हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। दिनांक—14.07.2021 को गंगा नदी में शव की शिनाख्त करते समय भीड़ में से 02 लड़कों ने अपराधी के बारे में थानाध्यक्ष दीघा थाना को जानकारी दिया और शिनाख्त किया। अपराधी के चेहरा पर चोट का ताजा निशान था, जो शायद मृतक ने अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में किया होगा। उन दोनों लड़को ने अपराधी को मृतक से अकारण उलझते हुए भी देखा। इसके बावजूद थानाध्यक्ष ने न तो अपराधी को पकड़ा और न ही पूछ—ताछ के लिए थाना पर लाये। शव का फोटो लिया गया जिसमें स्पष्ट है कि मुंह बंद था, दोनों हाथ बगल तरफ से मूड़ा हुआ था तथा नाक, कान एवं सिर की ओर से खून निकल रहा था। शव को गंगा जी में डूबो दिया गया तथा पैंट, जूता मोबाईल घाट पर छोड़ दिया जिससे परिवार एवं पुलिस दिग्भ्रमित हो जाये और हत्या करने वाले बच जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक—14.07.2021 को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया और दिनांक—14.07.2021 को ही शाम 05:00 बजे शव मिल गया तब भी थानाध्यक्ष द्वारा कांड को न्यूनीकरण करने के उद्धेश्य से **कांड सं०—381/2021 दिनांक—14.07.2021 धारा—363/365 दर्ज किया गया,** परंतु हत्या कांड दर्ज नहीं किया गया। अपहरण मान कर कांड दर्ज किया गया तो जिस व्यक्ति द्वारा पैसा के लिए तंग किया जा रहा था, उस व्यक्ति को आंख के नीचे जख्म भी था, इससे अगर पूछताछ किया जाता तो घटना का उद्भेदन हो सकता था थानाध्यक्ष के द्वारा प्रारंभ से ही आत्महत्या का रूप देना संदेहात्मक प्रतीत होता है।

ध्यातव्य हो कि न तो यह दुर्घटना है और न ही आत्महत्या। यह विशुद्ध हत्या का मामला है। इस हत्या में एक से अधिक अपराधियों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतना स्पष्ट है कि अपराधी को यह पता था कि मृतक का पिता ए०डी०एम० है और अनुसूचित जाति का है।

2021.07.22 14:38

मृतक की शव के चेहरा एवं सिर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले जख्म का भ
ना रिपोर्ट में थानाध्यक्ष द्वारा उल्लेख नहीं किया गया। मृतक के माता–पिता सहित अन
जनों के उपस्थित रहने के बावजूद समीक्षा रिपोर्ट पर किसी परिजन का मंतव्य और न ह
ताक्षर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री राजेश सिन्हा थानाध्यक्ष दीघा द्वारा यह भी कहा गया कि
मीक्षा प्रतिवेदन में परिजन का पहचान कराये या नहीं कराये, जखमी का उल्लेख करे या न क
ह मेरी मर्जी और अधिकार क्षेत्र में है तथा मैं जो लिखुँगा उसी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपो
आयेगा।" इससे स्पष्ट है कि राजेश सिन्हा थानाध्यक्ष दीघा साक्ष्यों को मिटाने में लगे है अं
नसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। चूँकि अपराधी खुलेआम घुम रहा है जिससे मृतक परिव
के जान–माल का खतरा है।

ज्ञातव्य हो कि शव का फोटो एवं चिकित्सक द्वारा भीसरा एवं अन्य प्रदर्श जाँच हे
सुरक्षित रखा गया है जिससे शीघ्र जाँच कराकर विशेषज्ञ से मंतव्य प्राप्त कर मृत्यु का स्पष्ट कार
पता लगाने की कृपा की जाय।

अतः करबद्ध प्रार्थना है कि उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए दीघा का
संख्या–381/21 एवं 390/21 की जॉच एस०आई०टी० से कराने, उक्त कांड में SC/ST
धारा 3(2)(v) को जोड़ने, नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र करने एवं मृतक परिवार की सुर
सुनिश्चित कराने की कृपा करना चाहेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहुँग

विश्वासभाजन

20/7/2021

(पुरूषोत्तम पासवान)
अपर समाहर्त्ता–सह–जिला
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
सहरसा।